न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:— 43/2024
निर्णय दिनांक:— 26.09.2024
पीठासीन अधिकारी:— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

सत्यनारायण बैरवा पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

वादी

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:— श्री सोभागमल बैरवा अधिवक्ता वादी
वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक:— 26.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 18 के आराजी खसरा नं. 120, 285, 387/99, 401/115 कुल किता 4 कुल रकबा 2.4279 हैक्टेयर, खतौनी सं. 77 के आराजी खसरा नं. 116, 119 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर, खतौनी सं. 84 का आराजी खसरा नं. 290/1 रकबा 1.6944 हैक्टेयर, खतौनी सं. 17 के आराजी खसरा नं. 290/338 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खतौनी सं. 102 का आराजी खसरा नं. 321/2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर व खतौनी सं. 103 का आराजी खसरा नं. 391/102 रकबा 0.0253 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 104 के आराजी खसरा नं. 101, 110, 111, 113, 193, 290/2, 306, 307, 308/339, 310, 311, 314, 315, 327/1 कुल किता 14 कुल रकबा 4.0846 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित हैं। खतौनी सं. 84 का आराजी खसरा नं. 290/1 रकबा 1. 6944 हैक्टेयर, खतौनी सं. 17 के आराजी खसरा. नं. 290/338 रकबा 0.2403 हैक्टेयर जिसमें खतौनी सं. 18 में वादी का हिस्सा 4/15, खतौनी सं. 77 में वादी का 1/48 हिस्सा, खतौनी सं. 102 में वादी का हिस्सा 1/15, खतौनी सं. 103 में वादी का हिस्सा 1/45, खतौनी सं. 104 में वादी का हिस्सा 1/15, खतौनी सं. 84 में वादी का हिस्सा 4/15, खतौनी सं. 17 में वादी का हिस्सा 1/6 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त आराजी भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं खातेदार काश्तकार है एवं लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। उक्त आराजी वादी की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादी के पिता लादू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण के वादी व अन्य वारीसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वरवक्त फौती नामान्तकरण वादी का बोलता नाम श्रीनारायण पुत्र लादू के नाम खोल दिया गया जो कि गलत है जबकि

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

वादी का सही रिकार्डेड नाम सत्यनारायण बैरवा है वादी अपने परिवार की जिम्मेदारीयों के कारण व कम पढा लिखा होने के कारण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बोलता नाम श्री नारायण की जानकारी नहीं रख सका। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम सत्यनारायण बैरवा है एवं ग्राम कॅवरपुरा में श्री नारायण पुत्र लादू व सत्यनारायण पुत्र लादू एक ही व्यक्ति है इसके अलावा अन्य कोई इस नाम का व्यक्ति ग्राम कॅवरपुरा तहसील फागी में नहीं है। बल्कि वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र लादू के दस्तावेजों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का सही रिकार्डेड नाम सत्यनारायण पुत्र लादू है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम श्री नारायण पुत्र लादू की जगह सत्यनारायण पुत्र लादू राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे राजस्व रिकार्ड में राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है, वादी अपनी जमीन पर के.सी.सी. लेने के लिए जमाबंदी लेने पटवार हल्का केरिया में गया तो ग्राम पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में आपका रिकार्डेड नाम श्री नारायण दर्ज है, वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया है वादी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने दिनांक 28/5/2024 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वादी को वाद कारण दिनांक 18/5/2024 को प्रतिवादी द्वारा वादी का नाम दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब मय फर्द मौका रिपोर्ट छायाप्रति पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की श्रीनारायण व सत्यनारायण पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी कवंरपुरा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसको घर पर श्रीनारायण के नाम से पुकारा जाता है दोनो नाम एक व्यक्ति के है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित होंगा।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने अपनी बहस मे अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 – 79 वाके ग्राम कवंरपुरा के खाता सं0 18, 77, 102, 103, 104, 84, 17 मे श्रीनारायण पुत्र लादू हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी के अन्य दस्तावेजात यथा ड्राईविंग लाईसेन्स, आधारकार्ड आदि मे सत्यनारायण बैरवा पुत्र लादु राम अंकित है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे श्रीनारायण व सत्यनारायण पुत्र लादू दोनो एक ही व्यक्ति होने का कथंन किया है तथा नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 18 के आराजी खसरा नं. 120, 285, 387/99, 401/115 कुल किता 4 कुल रकबा 2.4279 हैक्टेयर, खतौनी सं. 77 के आराजी खसरा नं. 116, 119 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर, खतौनी सं. 84 का आराजी खसरा नं. 290/1 रकबा 1.6944 हैक्टेयर, खतौनी सं. 17 के आराजी खसरा नं. 290/338 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खतौनी सं. 102 का आराजी खसरा नं. 321/2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर व खतौनी सं. 103 का आराजी खसरा नं. 391/102 रकबा 0.0253 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 104 के आराजी खसरा नं. 101, 110, 111, 113, 193, 290/2, 306, 307, 308/339, 310, 311, 314, 315, 327/1 कुल किता 14 कुल रकबा 4.0846 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन श्रीनारायण पुत्र लादू के स्थान पर सत्यनारायण बैरवा पुत्र लादू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला-दूदू

सत्यनारायण बनाम तहसीलदार
मु0न0:— 43 / 2024
निर्णय दिनांकः— 26.09.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

सत्यनारायण बैरवा पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

::— वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती::—

मु0न0:— 43 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सोभागमल बैरवा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 18 के आराजी खसरा नं. 120, 285, 387 / 99, 401 / 115 कुल किता 4 कुल रकबा 2.4279 हैक्टेयर, खतौनी सं. 77 के आराजी खसरा नं. 116, 119 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7461 हैक्टेयर, खतौनी सं. 84 का आराजी खसरा नं. 290 / 1 रकबा 1.6944 हैक्टेयर, खतौनी सं. 17 के आराजी खसरा नं. 290 / 338 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खतौनी सं. 102 का आराजी खसरा नं. 321 / 2 रकबा 0.3920 हैक्टेयर व खतौनी सं. 103 का आराजी खसरा नं. 391 / 102 रकबा 0.0253 हैक्टेयर एवं खतौनी सं. 104 के आराजी खसरा नं. 101, 110, 111, 113, 193, 290 / 2, 306, 307, 308 / 339, 310, 311, 314, 315, 327 / 1 कुल किता 14 कुल रकबा 4.0846 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन श्रीनारायण पुत्र लादू के स्थान पर सत्यनारायण बैरवा पुत्र लादू दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।**

निज..............x...............मुबलिग........x.......................बाबत.........x...................................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....x..............फीसदी..........x..............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....x.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 / 09 / 2024 को जारी की गई।

26/9/24
दस्तखत..........................
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा फागी जिला—दूदू

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

26/9/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला—दूदू